**जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षकवर्गीय/शिक्षकेतर कर्मचा-यांना (सातावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी) लागू करण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
**मृद व जलसंधारण विभाग**
**शासन निर्णय क्र. सावेआ-२०१९/प्र.क्र.१७/जल-९**
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९.

वाचा: १) राज्य वेतन सुधारण समिती २०१७ अहवाल खंड-अध्यक्ष के.पी.बक्षी,
२) शासन निर्णय क्रमांक : वेपूर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा, दि. ०१.०१.२०१९.
३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग क्र.४, अधिसूचना वित्त विभाग,क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि. ३०.०१.२०१९.
४) शासन परिपत्रक्र, वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि. २०.२.२०१९.
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दि. १४.५.२०१९
६) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. वाल्मी १००९/(१०६/०९) /लाक्षेवि (आस्था ), दि.१८.१२.२००९
७) शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. वाल्मी-१००९/(१७६/०९)/लाक्षेवि (आस्था), दि. ३०.०७.२०१० .
८) जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र वाल्मी/प्रशासन/आ१/३९५/ २०१९, दि. २७.०३.२०१९.
९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.वेपूर २०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९ दिनांक ३०.०५.२०१९

**प्रस्तावना:-**

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद ही १०० % शासन अनुदानित स्वायत्त संस्था असून,या संस्थेची स्थापना सोसायटी कायदा, १९६० अंतर्गत करण्यात आली आहे.

जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद ही जलसंपदा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली होती. तथापि, दिनांक ३१.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सदर संस्थेच्या स्वायत्ततेला बाधा न आणता वाल्मी संस्था मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करुन सदर संस्था मृद व जल संधारण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात आली आहे.

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी ), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षकवर्गीय व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना ६ व्या वेतन आयोगाच्या आनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना (थकबाकी वगळून) दिनांक ०१.०४.२००९ व दिनांक ०१.०४.२०१० पासून लागू केल्या आहेत.

राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७, अहवाल खंड-१ मधील शिफारशींमध्ये वाल्मी संस्थेतील सर्व (शिक्षकवर्गीय/शिक्षकेतर) पदे येतात.

त्यानुसार जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षकवर्गीय व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

**शासन निर्णय :-**

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) संस्थेतील शिक्षकवर्गीय शिक्षकेतर कर्मचा-यांना संदर्भ क्र.३,४,५ व ९ मधील तरतुदीनुसार ७ व्या वेतन आयोगानुसार दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यास तसेच सुधारित वेतन संरचनेनुसार वेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.०१.०१.२०१९ पासून अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन निश्चिती शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.१/ सेवा-९, दि.३० जानेवारी २०१९, शासन परिपत्रक्र, वित्त विभाग क्र.वेपुर २०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि. २० फेब्रुवारी २०१९ , आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दि.१४ मे,२०१९ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी.

तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विहित केलेल्या सुधारित केलेल्या वेतन संरचना अनुज्ञेय असलेल्या शासकीय पदधारकांची सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतननिश्चिती शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. Misc-२०१८/C.R.५६/१८/UNI-१, दि. ०८ मार्च, २०१९ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी.

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करावयाच्या संवर्गांचा सवर्गनिहाय तपशिल सोबतच्या प्रपत्र "अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे.

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी ) संस्थेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना ई.पी.एफ (कर्मचारी भविष्य निधी) योजना लागू आहे. ई.पी.एफ (कर्मचारी भविष्य निधी) योजना ही परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन (DCPS) योजनेशी समान असल्याने, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यानंतर दि. १.१.२०१६ ते ३१.१२.२०१८ या कालावधीकरिता थकबाकीपोटी अनुज्ञेय होणारी थकबाकी ही वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपूर २०१९/प्र.क्र.८/ सेवा-९ दिनांक ३०.०५.२०१९ मधिल वेतन थकबाकी प्रदान करावयाची पध्दतीमधील तरतुदीनुसार अदा करण्यात यावी. तसेच दि. ०१.०१.२०१९ ते सदर शासन निर्णय निर्गमित दिनांकापर्यंतची वेतन थकबाकी ही रोखीने अदा करण्यात यावी.

सुधारित वेतनसंरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक तो विकल्प सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प हा अंतिम राहील.

या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च, संस्थेतील शिक्षकवर्गीय/शिक्षकेतर यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व तो संस्थेला मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय , वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र ३४४/२०१९/सेवा-९ दि. १८.९.२०१९ अन्वये दिलेल्या साकेतांक क्र. २०१९०९१९१८४२१५०२२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

Digitally signed by Nitin Anant Pandharkame
Date: 2019.09.30 12:44:20 +05'30'

**( नि. अ.पांढरकामे )**
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

**प्रत,**

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
३. मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण )
४. मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
५. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद,
६. महासंचालक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी ), औरंगाबाद
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
९. वित्त विभाग, सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई.
१०. सर्व सहसचिव/उपसचिव, मृद व जलसंधारण विभाग,
११. निवड नस्ती.

| शासन निर्णय क्र.सावेआ-२०१९/प्र.क्र.१७/जल-९, दि. १९.९.२०१९, सोबतचे प्रपत्र "अ" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद | | | | |
| अ. क्र. | पदनाम | विद्यमान वेतन संरचना / Existing Pay Structure | | सुधारीत वेतन मॅट्रिक्स मधील वेतनस्तर / Pay Level in Revised Pay Matrix |
| | | वेतन बँड / Pay Band | ग्रेड वेतन / Grade Pay | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | प्राध्यापक | ३७४००-६७००० | १०००० | (१४) - १४४२००-२१८२०० Academic Level (UGC Scale) |
| २ | सहयोगी प्राध्यापक | ३७४००-६७००० | ९००० | (१३ A)- १३१४००-२१७१०० Academic Level (UGC Scale) |
| ३ | सहाय्यक प्राध्यापक | १५६००-३९१०० | ६००० | (१०) - ५७७००-१८२४०० Academic Level (UGC Scale) |
| ४ | सहाय्यक अभियंता श्रेणी२- | ९३००-३४८०० | ४४०० | (S-१५) ४१८००-१३२३०० |
| ५ | अधिक्षक | ९३००-३४८०० | ४३०० | (S-१४) ३८६००-१२२८०० |
| ६ | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक | ९३००-३४८०० | ४३०० | (S-१४) ३८६००-१२२८०० |
| ७ | उच्च श्रेणी लघुलेखक | ९३००-३४८०० | ४४०० | (S-१५) ४१८००-१३२३०० |
| ८ | निम्न श्रेणी लघुलेखक | ९३००-३४८०० | ४३०० | (S-१४) ३८६००-१२२८०० |
| ९ | कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक | ९३००-३४८०० | ४२०० | (S-१३) ३५४००-११२४०० |
| १० | तांत्रीक सहाय्यक | ५२००-२०२०० | २००० | (S-७) २१७००-६९१०० |
| ११ | प्रयोगशाळाक्षेत्र / सहाय्यक | ५२००-२०२०० | २००० | (S-७) २१७००-६९१०० |
| १२ | ग्रंथपाल | ५२००-२०२०० | २८०० | (S-१०) २९२००-९२३०० |
| १३ | वरिष्ठ लिपीक | ५२००-२०२०० | २४०० | (S-८) २५५००-८११०० |
| १४ | सहाय्यक आरेखक | ५२००-२०२०० | २४०० | (S-८) २५५००-८११०० |
| १५ | सहाय्यक ग्रंथपाल | ५२००-२०२०० | २००० | (S-७) २१७००-६९१०० |
| १६ | अनुरेखक | ५२००-२०२०० | २००० | (S-७) २१७००-६९१०० |
| १७ | कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक | ५२००-२०२०० | १९०० | (S-६) १९९००-६३२०० |
| १८ | वाहन चालक | ५२००-२०२०० | १९०० | (S-६) १९९००-६३२०० |
| १९ | दूरध्वनी चालक | ५२००-२०२०० | २००० | (S-७) २१७००-६९१०० |
| २० | सुतार | ५२००-२०२०० | १९०० | (S-६) १९९००-६३२०० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २१ | विजतंत्री | ५२००-२०२०० | २००० | (S-७) २१७००-६९१०० |
| २२ | नळ कारागीर | ५२००-२०२०० | १९०० | (S-६) १९९००-६३२०० |
| २३ | माळी | ५२००-२०२०० | १८०० | (S-५) १८०००-५६९०० |
| २४ | गवंडी | ५२००-२०२०० | १९०० | (S-६) १९९००-६३२०० |
| २५ | स्वच्छक (स्वीपर) | ४४४०-७४४० | १३०० | (S-१) १५०००-४७६०० |
| २६ | स्वयंपाकी | ४४४०-७४४० | १६०० | (S-३) १६६००-५२४०० |
| २७ | वाढपी | ४४४०-७४४० | १४०० | (S-२) १५३००-४८७०० |
| २८ | नाईक | ४४४०-७४४० | १६०० | (S-३) १६६००-५२४०० |
| २९ | शिपाई | ४४४०-७४४० | १३०० | (S-१) १५०००-४७६०० |
| ३० | परिचर | ४४४०-७४४० | १३०० | (S-१) १५०००-४७६०० |
| ३१ | मदतनीस | ४४४०-७४४० | १३०० | (S-१) १५०००-४७६०० |
| ३२ | मिस्त्री | ५२००-२०२०० | १९०० | (S-६) १९९००-६३२०० |
| ३३ | कार्यालयीन यंत्र चालक | ४४४०-७४४० | १६०० | (S-३) १६६००-५२४०० |
| ३४ | सहाय्यक (तांत्रिक सहाय्यक दर्जाचे) | ५२००-२०२०० | २००० | (S-७) २१७००-६९१०० |
| ३५ | मुकादम | ४४४०-७४४० | १६०० | (S-३) १६६००-५२४०० |
| ३६ | कुशल मजूर | ५२००-२०२०० | १९०० | (S-६) १९९००-६३२०० |
| ३७ | अकुशल हलके मजूर | ४४४०-७४४० | १३०० | (S-१) १५०००-४७६०० |
| ३८ | सुरक्षा शिपाई | ५२००-२०२०० | १८०० | (S-५) १८०००-५६९०० |
| ३९ | खानसामा | ५२००-२०२०० | १८०० | (S-५) १८०००-५६९०० |
| ४० | चौकीदार | ४४४०-७४४० | १३०० | (S-१) १५०००-४७६०० |

Digitally signed by Nitin Anant Pandharkame
Date: 2019.09.30 12:44:46 +05'30'

**(नि. अ. पांढरकामे)**
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन